शिक्षा नीति पर सैकिया समिति की रिपोर्ट

1609. **श्री राम जेठमलानी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्तमान शिक्षा नीति में सुधार लाने के लिए सिफारिशें करने के लिए श्री आर.एन. सैकिया की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो समिति के अन्य सदस्य कौन-कौन हैं तथा वे शिक्षा के क्षेत्र में क्या विशेषज्ञता रखते हैं;

(ग) क्या समिति ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक दे देने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाए जाने संबंधी प्रस्ताव की वित्तीय, प्रशासनिक, कानूनी तथा शैक्षिक कठिनाइयों पर विचार करने के लिए सरकार ने श्री मुही राम सैकिया, केन्द्रीय मानव संसाधन विकास (शिक्षा) मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है।

(ख) गठित की गई समिति के सदस्यों के नाम एवं पदनाम इस विभाग के दिनांक 29 अगस्त, 1996 के आदेश की संलग्न प्रति (विवरण) में दिए गए हैं (नीचे देखिए)

(ग) जी, हां।

(घ) आशा की जाती है कि समिति अपनी रिपोर्ट अपने बढ़ाए गए कार्यकाल अर्थात 15 जनवरी, 1997 तक प्रस्तुत कर देगी।

विवरण

सं॰एफ॰ 1-53/92-ई॰ई॰

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 अगस्त, 1996

आदेश

संयुक्त मोर्चा सरकार के न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में, इस शताब्दी के अन्त तक प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने संबंधी मौलिक अधिकार का संकल्प किया गया है। यह प्रस्ताव इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समूचे देश को आवश्यक सम्बल प्रदान करेगा तथा इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित संसाधनों को जुटाने में सहायक सिद्ध होगा। 10 अगस्त, 1996 को आयोजित राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में इस प्रस्ताव के गुण-दोषों पर विचार किया गया। प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन के महत्व को ध्यान में रखते हुए सम्मेलन में यह महसूस किया गया कि इस प्रस्ताव से संबंधी कानूनी वितीय, प्रशासनिक और शैक्षिक कठिनाइयों पर गहन विचार करने के लिए राजनैतिक स्तर पर व्यापक विचार-विमर्श करना आवश्यक था। तदनुसार, इस प्रस्ताव में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों (कानूनी, वित्तीय प्रशासनिक और शैक्षिक) की जांच करने के लिए मंत्रियों की एक समिति गठित करने कर निर्णय लिया गया। इस समिति का गठन इस प्रकार होगा:-

1. श्री मुही राम सैकिया, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार, अध्यक्ष।
2. श्री जय प्रकाश नारायण यादव, शिक्षा मंत्री, बिहार।
3. श्री कान्ति विश्वास, प्रभारी मंत्री, स्कूल शिक्षा, पश्चिम बंगाल।
4. माननीय प्रो॰ ए॰ अनबाझाबन, शिक्षा मंत्री, तमिलनाडु।
5. श्री पी॰ जे॰ जोसेफ, शिक्षा मंत्री, केरल।
6. श्री एच. जी. गोविन्दा गोंडा, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री, कर्नाटक।
7. श्री सुधीर जोशी, स्कूल शिक्षा मंत्री, महाराष्ट्र।
8. श्री मुकेश नायक, स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्य प्रदेश।
9. श्री राम विलास शर्मा, शिक्षा मंत्री, हरियाणा।
10. श्री गुलाब चन्द कटारिया, शिक्षा मंत्री, राजस्थान।
11. श्री जय देश जेना, स्कूल और जन शिक्षा मंत्री, उड़ीसा।
12. श्री इराबत सिंह, शिक्षा मंत्री, मणिपुर।
13. श्री बी॰ दुर्गा प्रसाद राव, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री, आंध्र प्रदेश।
14. श्रीमति चित्रा नायक, सदस्य, योजना आयोग।
15. श्री ए॰ मोहन दास भोसेस, सलाहकार, जम्मू और कश्मीर।
16. श्री अभिमन्यु सिंह, संयुक्त सचिव ई॰ ई॰ (शिक्षा विभाग) (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) सदस्य-सचिव।

विशेष आमंत्रित व्यक्ति

17. विधि सचिव या उनका नामित व्यक्ति जिसका स्तर संयुक्त सचिव से कम न हो।

18. डा॰ आर.वी. वैद्यानाथ अय्यर, अपर सचिव।
19. श्री आर॰ एस॰ पाण्डेय, संयुक्त सचिव (डी॰पी॰ई॰पी॰)।
20. श्री एस॰ सत्यमूर्ति, वित्तीय सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

2. इस समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:—

(I) निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान में संशोधन करने के प्रस्ताव संबंधी कानूनी, शैक्षिक प्रशासनिक और वित्तीय दिक्कतों की जांच करना और उन पर विचार करना।

(II) इस मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए उपयुक्त संवैधानिक तरीके सुझाना।

(III) सुविधाएं, जो प्रदान न की गई हों तथापि जिन्हें प्रदान करना न्याय-संगत है, को दर्शाने वाले दिशा निर्देशों का सुझाव देना।

3. समिति के अध्यक्ष को समिति के कार्यों में सहयोग प्रदान करने के लिए सदस्यों को सहयोजित करने तथा उपसमितियों के गठन के अधिकार प्राप्त होंगे।

4. आशा है कि समिति बैठक की अपनी रिपोर्ट पहली तारीख से दो माह की अवधि के भीतर ही प्रस्तुत कर देगी।

5. प्रारंभिक शिक्षा ब्यूरो समिति के कार्य के लिए आवश्यक कार्यालयीन सहायता प्रदान करेगा।

6. गैर-सरकारी सदस्य, सहयोजित सदस्य अथवा उप समिति के सदस्य भारत सरकार के नियमों के अनुसार यात्रा और दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

ह॰/-
(अतुल बगाई)
उप सचिव (ई॰ई॰)
दूरभाष: 3387781

प्रतिलिपि सूचना और कार्रवाई हेतु प्रेषित:

1. समिति के सदस्य।

2. सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के शिक्षा सचिव।

3. सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के शिक्षा निदेशक।

4. आई.एफ.डी./स्थापना-1 शिक्षा सचिव के वैयक्तिक सचिव।

5. शिक्षा सचिव, भारत सरकार।

Reports Relating to "State of Cooperation in India"

1610. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister ot AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Govemment have received the reports on "State of Cooperation in india", submitted by Cooperative Initiative Fane!,

(b) if so, the details of the important observations/recommendations made by the panel for taking new policy initiative for radical restructuring of Cooperative Institutions, State-wise;

(c) the reaction of the Union/State Governments thereto; and

(d) the. present status in regard to the action taken, alogwith time schedule?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRl CHATURANAN MISHRA): (a) TV copies of reports on "State of Cooperation in India" published by the Cooperative Initiative Panel have been secured recently.

(b) The Panel in these reports have recommended to recognise the cooperatives as voluntary organisation formed by members based on the values enshrined in principles of cooperation, to amend the cooperative laws based on the recommendations of the Model Cooperatives Act, provide due priority to cooperative sector in the Plan document as an important sector of National economy and a cleat State policy on Cooperatives. The Pane! in its reports have made observations on action taken/urged to be taken by different State Governments on reformulation of their respective Cooperative Societies Acts.

(c) and (d) The thrust of the reports of the Panel is to reformulate the cooperative laws on the lines of Choudhary Brahm Perkash Committee Report. "Cooperative Societies" is a State subject and amendments in State Cooperative Societies Acts is within the legislative competence of the respective State Governments. However, it has been decided ;c replace the exsting Multi-State Cooperative Societies Act, 1984 on the lines of the recommendations made by Ch. Brahm Perkash Committee Report. It has also been decided to formulate a National Policy on Cooperatives.